

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम- **अभिषेक कुमार बगड़िया**
2. वर्तमान पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद अलीगढ़
3. वेतनमान- जे-5 (1,44,840-1,94,660) वर्तमान मूल वेतन 1,72,960/-
4. वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश (गृह अनुभाग) द्वारा निर्गत सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, 2002
6. विज्ञप्ति की तिथि- **25 जनवरी 2003**
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 28 मार्च 2005
8. योगदान की तिथि- 11 अप्रैल 2005
9. जन्म तिथि- 20 दिसम्बर 1978
10. सेवानिवृत्त की तिथि- 31 दिसम्बर 2038

मैं **अभिषेक कुमार बगड़िया** पुत्र श्री विनोद कुमार बगड़िया शासनादेश संख्या- 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना (✓)** / नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर-

नाम- **अभिषेक कुमार बगड़िया**

पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद अलीगढ़

घोषणा पत्र

मैं **अभिषेक कुमार बगड़िया**, पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद अलीगढ़ यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या- 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-

नाम- **अभिषेक कुमार बगड़िया**

पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद अलीगढ़

सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री **अभिषेक कुमार बगड़िया**, पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना () / नई पेंशन योजना () में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।